उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050
कानपुर–208024
दूरभाष : 2582851–53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई–मेल : feedback@upsidc.com

सन्दर्भ संख्या /एसआईडीसी/ दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रक्रियाओ/अधिकारों को सरलीकृत एवं विकेंद्रित करते हुए पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 2377–81 दिनांक 01.12.2016 में वर्णित क्षेत्रीय प्रबन्धकों/परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन किया जाता है एवं तदनुसार कार्यालय आदेश के कम में क्रमांक "अ" में निम्नवत संशोधित किया जाता है :–

अ– क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकार

क0सं0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायन/अधिकार
1	सभी औद्योगिक आवंटन जिनमें इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार समय उपलब्ध/विस्तारित है तथा अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों हेतु नियमानुसार पट्टाविलेख का निष्पादन, कब्जा हस्तान्तरण, आरक्षण धनराशि की देय तिथि से 30 दिन (तीव्र गति के क्षेत्रों में)/60 दिन (मंद गति के क्षेत्रों में) दिनों तक (क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) ब्याज सहित भुगतान स्वीकार करने का कार्य, पट्टाविलेख को आवंटी की अभिरक्षा में/वित्तीय संस्था के पक्ष में एकल/बहुपक्षीय रहन, आवंटित क्षेत्रफल में भूखण्ड के कब्जे तक ज्ञात हुई वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण, औद्योगिक आवंटनों में उत्पाद परिवर्तन/अतिरिक्त उत्पाद की अनुमति।	पूर्ण अधिकार
2	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आंवटनों का समर्पण स्वीकार करना एवं नियमानुसार धनराशि वापस करना, जमा धनराशि में रू0 100/– तक की कमी के सम्बन्ध में डिफाल्टर वर्ग से आवंटी को हटाने सम्बन्धी कार्य।	पूर्ण अधिकार
3	औद्योगिक आवंटनों का समय विस्तारण	~~आवंटन की तिथि से 07 वर्ष तक~~
4	पूर्ण लेवी सहित औद्योगिक भूखण्ड आवंटनो का हस्तान्तरण	1–एक एकड़ क्षेत्रफल परन्तु ऐसे रिक्त भूखण्डों के प्रकरणों में आवंटन की तिथि से 07 वर्ष तक। 2–एकल आवासीय भूखण्डों में पूर्ण अधिकार।
5	यूपीएफसी/पिक[illegible]य नीलामी के हस्तान्तरण के प्रकरण (पूर्ण लेवी सहित)	पूर्ण अधिकार
6	आवंटी की मृत्यु के उपरान्त भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक	(क)–औद्योगिक आवंटनों में एक एकड़ क्षेत्रफल परन्तु ऐसे रिक्त औद्योगिक

Scanned with CamScanner

	सदस्यों को हस्तान्तरण, आवंटी का नाम परिवर्तन (बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के).	भूखण्डों के प्रकरणों मे आवंटन की तिथि से 07 वर्ष तक। (ख) एकल आवासीय भूखण्डों मे पूर्ण अधिकार
7	औद्योगिक भूखण्डों में किरायेदारी	पूर्ण अधिकार
8	भवन मानचित्र की स्वीकृति	(क) औद्योगिक आवंटनों में एक एकड़ क्षेत्रफल परन्तु ऐसे "रिक्त" औद्योगिक भूखण्डो के प्रकरणों मे आवंटन की तिथि से 07 वर्ष तक। (ख) एकल आवासीय भूखण्डों मे पूर्ण अधिकार। (ग) अन्य प्रकरणों मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति/अनुमोदन निर्गत करने का पूर्ण अधिकार।
9	देयों का भुगतान न करने की दशा में सभी प्रकृति के भूखण्डों के आंवटनों का निरस्तीकरण	पूर्ण अधिकार
10	अनुपयोगित औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन का निरस्तीकरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तक
11	औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन का पुर्नजीवीकरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आवंटन की तिथि से 07 वर्ष तक
12	सभी प्रकृति के भूखण्डों में देयों का रिशिड्यूलमेन्ट।	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आवंटन की तिथि से 07 वर्ष तक

उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप अन्य वर्णित पदों को प्रतिनिधायनित अधिकार तदनुसार संशोधित हो जायेगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

सदर्भ स0 419-422 /एसआईडीसी/आईए/प्र0नि0/ दिनांक 03-02-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर।
2. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर।
4. गार्ड फाइल।

03/02/17

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner